

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 83/2019

निर्णय दिनांक - 31.05.2019

श्रीमति कौशल्या देवी पत्नि भोलादत्त जोशी (ब्राह्मण) आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।

- प्रार्थीया

// बनाम //

1. शोभाराम पिता केशुराम जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी ढोरिया, तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
2. संतोष पिता गोपीलाल जाति राव ढोली आयु वयस्क निवासी कचरियाखेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
3. श्रीमति कमली पत्नि गुलाबचन्द जाति नायक आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा (रणछोडपुरा) तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
4. श्रीमति नौलीबाई पत्नि सुरमलजी जाति नायक आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा (रणछोडपुरा) तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
5. श्यामलाल पिता भुरालाल जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी खेडी आर्यनगर तह0 छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0 ।
6. केशु पुत्र विजयसिंह जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा (रणछोडपुरा) तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीया ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा कचरियाखेडी पटवार हल्का ढोरिया तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थीय की खाता संख्या 59 की आराजी नं0 832 रकबा 2.1800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा कचरियाखेडी पटवार हल्का ढोरिया तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थीया की खाता संख्या 59 की आराजी नं0 832 रकबा 2.1800 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

